

बाँदा जनपद उ०प्र० में राष्ट्रवादी भावनायें

डॉ० कृष्ण पाल

असिस्टेन्ट प्रोफसर, इतिहास
महाराज बलवन्त सिंह पी०जी० कालेज,
गंगापुर (राजातालाब) वाराणसी

1858 में विद्रोह समाप्ति के पश्चात् काँग्रेस की स्थापना (1885) के लगभग 30 वर्षों की अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में एक प्रकार से थकान तथा निराशा का युग माना जा सकता है। 1857 के विद्रोह के समय राष्ट्रीय चेतना का जो वेग दिखाई पड़ा था, वह 1858 के पश्चात् मन्द पड़ गया। लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष तथा निराशा रूपी छाया परिलक्षित हो रही थी लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं था कि लोग अंग्रेजी सत्ता और वैभव से डरे हुए थे। वास्तविकता यह थी कि भारत में अनेक बुद्धिजीवी तथा अंग्रेजी विचारधारा से ओत-प्रोत, देश-भक्त समूचे भारत के लिए एक अखिल भारतीय संख्या की स्थापना कर संगठित रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन की गति को बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार लोगों में छायी हुई निराशा को दूर करना चाहते थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे तेज युवाओं ने ब्रिटिश भेदभाव की नीति के विरुद्ध लोगों में चेतना पैदा करने के लिए इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना कर अखिल भारतीय काँग्रेस का मार्गदर्शन किया।

18 दिसम्बर, 1885 को ए.ओ. ह्यूम के सघन प्रयासों से काँग्रेस की स्थापना हुई। इसका मुख्य ध्येय यह था कि तत्कालीन भारतीय समाज में एक बड़ा वर्ग जो शिक्षित होकर उभर रहा था, उसके अन्दर राजनैतिक चेतना और अधिक मजबूत हो। ह्यूम ने जिस अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कराई उसके अपरोक्ष रूप से समर्थन भी किया।

यह सच है कि काँग्रेस की स्थापना के प्रारम्भिक 10 वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य की कृपा दृष्टि उस पर बनी रही लेकिन धीरे-धीरे अनेक राष्ट्रवादी नेताओं एवं उच्च कोटि के विद्वानों ने जैसे ही इस संगठन में प्रवेश किया वैसे ही ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों एवं कार्यों का विरोध होने लगा। 1905 का बंगाल विभाजन, 1909 की मार्ले-मिण्टों सुधार कानून आदि से काँग्रेस के ये राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए लोगों में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करते रहे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय गाँधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश से काँग्रेस का रूप ही बदल गया। गाँधी जी के काँग्रेस में प्रवेश से तथा उनके क्रियाशील होने से बुन्देलखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में भी काँग्रेस संगठन की स्थापना की जाने लगी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद झाँसी के कुछ राष्ट्रवादी विचार वाले लोगों ने एकत्रित होकर इस संगठन की स्थापना का प्रयास किया। इसका मुख्य केन्द्र सरस्वती पाठशाला एवं झाँसी में टकसाल मोहल्ला स्थित मास्टर रुद्र नारायण का आवास था। ऐसे लोगों में एस.पी.आई. के अध्यापक हरि नारायण गौरहार, मास्टर रुद्रनारायण रघुनाथ विनायक से लेकर आत्माराम गोविन्द खरे, लक्ष्मण राव कदम एवं अयोध्या प्रसाद आदि प्रमुख थे।¹

1916 में सरस्वती पाठशाला (एस.पी.आई.) में संयुक्त प्रान्त का राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष सी.वाई. चिन्तामणी जी थे। 1916 में इसी स्थान पर काँग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। बाद में इसका कार्यालय झाँसी नगर के मानिक चौक तिराहे पर स्थानान्तरित कर दिया गया।² इसी तरह 1920 में मऊरानीपुर के घासीराम व्यास, रामनाथ त्रिवेदी तथा लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आदि के सौजन्य से काँग्रेस की स्थापना हुई। हमीरपुर जिले के कुल पहाड में सबसे पहले काँग्रेस कमेटी गठित हुई, इसके बाद महोबा तथा राठ आदि स्थानों में भी इस संस्था की शाखाएं स्थापित हुई। 1921 में गाँधी जी झाँसी आए और

1 माहौर, भगवानदास, 'यस की धरोहर', प्रकाशक आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 1984, पृ.सं.59

2 वीणावादिनी (पत्रिका) हीरक जयंती विशेषांक 1991-92, स.प.इ.का.झाँसी, पृ.5

उसमें नगर के लोगों ने उनका हृदय से स्वागत किया।³ लगभग इसी समय दीवान शत्रुघन सिंह ने राठ तथा भगवान दास बालेन्दु ने कुल पहाड़ में काँग्रेस की स्थापना की। कुल पहाड़ जैसा छोटा कस्बा समस्त बुन्देलखण्ड में खादी भण्डार का प्रमुख केन्द्र बना, जहाँ से गाँधीवादी आन्दोलनों को नई दिशा मिली। महात्मा गाँधी, पं० जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, आचार्य कृपलानी तथा बादशाह खान आदि प्रमुख नेता समय-समय पर कुल पहाड़ आते रहे।⁴ बाँदा जनपद राष्ट्रीय क्षितिज पर हो रहे राष्ट्रीय आन्दोलनो तथा काँग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों से अप्रभावित न रहा। पं० लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री यहाँ के प्रमुख काँग्रेसी नेता थे।

इन्होंने सितम्बर 1920 में गाँधी जी के आह्वान पर असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए, राजकीय नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। “श्री अग्निहोत्री को उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रियता को देखते हुए बुन्देलखण्ड का गाँधी कहा जाता था।” वे 1914 में राजकीय विद्यालय बाँदा में अध्यापक के पद पर तैनात थे और प्रारम्भ से ही गाँधी जी के विचारों के प्रबल समर्थक थे। उनके साथी शिक्षक नारायण प्रसाद, सुखवासी लाल, शम्भू दयाल तथा द्वारिका प्रसाद सिन्हा थे। श्री अग्निहोत्री घोड़े पर चढ़कर गाँव-गाँव खादी का प्रचार करते तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करते थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। असहयोग आन्दोलन में वे 16 दिसम्बर 1921 को गिरफ्तार हुये और 6 माह जेल में रहे।⁵ इस प्रकार बाँदा जनपद के इस कर्मवीर नेता ने गाँधी जी के प्रेरक व्यक्तित्व से प्रभावित होते हुये जनपद में असहयोग आन्दोलन का नेतृत्व किया।

अगस्त 1914 में यूरोप में युद्ध शुरू हो गया। जिसने आगे चलकर विश्वयुद्ध का रूप धारण कर लिया। इस युद्ध में आस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी तथा टर्की एक पक्ष में थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान दूसरे पक्ष में थे।⁶ इस युद्ध में दोनों ही पक्षों का लक्ष्य अपने साम्राज्यवादी आधिपत्य की रक्षा और वृद्धि करना था, पर संसार की प्रगतिशील शक्तियों को अपनी और आकृष्ट करने के लिए ब्रिटेन ने घोषित किया कि संसार में लोकतन्त्र को प्रतिष्ठित करना ही मित्र राष्ट्रों का मुख्य लक्ष्य है।⁷ लोकतन्त्र की रक्षा के लिये भारतीय जनता से भी सहायता की माँग की गई। ब्रिटिश सरकार की बातों पर भरोसा कर अधिकांश काँग्रेसी नेता कुछ शर्तों के साथ युद्ध में उनकी सहायता करना चाहते थे। हाल ही काँग्रेस में शामिल हुई ऐनी बेसेन्ट का कहना था कि युद्ध में सहायता देना तभी सम्भव है जब विश्वास हो कि बलिदान के बदले उन्हें भी अपने देश में अपना राज्य स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।⁸ तिलक का भी कुछ ऐसा ही विचार था। विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ माह बाद ही महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। व युद्ध में बिना किसी माँग के सहायता देने के पक्ष में थे। अतः भारत के नेताओं और जनता ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध में हर सम्भव तरीके से मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में बाँदा जनपद भी ब्रिटिश साम्राज्य के युद्ध प्रयत्नों में जुट गया। जगह-जगह भर्ती कैम्प खोले गये। सैकड़ों नवयुवकों ने सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लिया। बाँदा जनपद की जनता द्वारा भी युद्धकाल में धन एकत्रित कर

3 जोशी, ई.वी., झांसी गजेटियर, लखनऊ, 1965, पृ.सं.71.

4 अनशक्त मनस्वी भगवानदास ‘बालेन्दु’ अभिनन्दन ग्रन्थ पं. द्वारिकेश मिश्र (सम्पादक) श्रीराम प्रेस झांसी 1983 में प्रकाशित पृ.11, 28, 63

5 राष्ट्र गौरव, ‘बुन्देलखण्ड का स्वतंत्रता संग्राम’, प्रकाशक बुन्देलखण्ड केशरी, छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट छतरपुर (म.प्र.) 1995-96, पृ.सं.389

6 चन्द्रा, विपिन, ‘मार्डन इण्डिया’, प्रकाशन एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 1990, पृ.सं.212-213

7 सूद, ज्योति प्रसाद, ‘भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान’ प्रकाशक जय प्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ, तृतीय हिन्दी संस्करण, 1972, पृ.सं.55

8 बेसेन्ट, ऐनी, ‘बिल्डर ऑफ न्यू इण्डिया’, पृ.सं.55

वारफण्ड में दान दिया गया।⁹ प्रथम विश्वयुद्ध ने भारत में एक नई मनोवृत्ति जगाई। इसने उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की नई भावना जगाई और लोगों में चेतना के विकास की वेग को बढ़ा दी।¹⁰ राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को भी इस युद्ध ने जागृत किया। युद्ध से पूर्व जनपद में राष्ट्रवाद की भावना का परिचायक केवल आर्य समाज के उपदेश ही थे, जिनमें कुछ-कुछ राष्ट्रीयता का भी पुट रहता था परन्तु अब दृश्य बदल रहा था।

पण्डित लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री ने 1914 में अपना अध्यापकीय प्रशिक्षण के पश्चात् राजकीय विद्यालय बाँदा में अध्यापक पद हेतु चयन किए गए। प्रखर प्रतिभा सम्पन्न होने के कारण राजनैतिक गतिविधियों से अग्निहोत्री जी सहज रूप से परिचित थे। इस समय विद्यालय में राष्ट्रीय भावना रख कर कार्य करना और राष्ट्रीय भावनाओं को अपने सहयोगियों तथा छात्रों में पैदा करना टेढ़ी खीर थी। उन्होंने अपने साथी अध्यापकों के राजनैतिक विचारों को जानने हेतु एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें विषय रखा गया 'छात्र राजनीति में भाग ले या नहीं' अध्यापकों के सामने विषम स्थिति थी कुछ तो बोले ही नहीं, कुछ ने कौशल पूर्वक अपनी भावनाओं और विवशताओं के बीच का रास्ता चुना। देश-प्रेम और राजनीति में विभाजक रेखा खींचकर छात्रों को देश-प्रेम करते हुए भी अध्ययन को प्राथमिकता प्रदान करने की बात कही। लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री गम्भीर विचारक और स्पष्टवक्ता थे। उन्होंने खुल कर छात्रों को राष्ट्रप्रेम, देश-भक्ति और देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने की प्रेरणा दी।¹¹ बाँदा जनपद में यह राष्ट्रीयता और आत्मसम्मान का प्रथम उद्गार था। युद्ध दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गया परन्तु ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वायत्त शासन देने की कोई घोषणा नहीं की। भारत के नेताओं में ब्रिटिश सरकार के प्रति असन्तोष बढ़ने लगा। वर्ष 1915 में काँग्रेस के बम्बई अधिवेशन में सर ए.पी.सिन्हा ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि वह स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दे कि उनका लक्ष्य भारतीयों को स्वायत्त शासन देना है।¹² परन्तु सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। काँग्रेस नरम दल और उग्रदल में बँटी हुई थी। लगभग दस वर्ष के अन्तराल के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दलों में पुनः एकता स्थापित हो गई। इसी लखनऊ अधिवेशन में काँग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया और दोनों ने एक साझा कार्यक्रम तैयार किया।¹³ युद्धकाल में भारतीय राजनीति शिथिल पड़ गई थी। सक्रिय कार्यक्रम के अभाव में राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। भारतीय जनता को सुप्तावस्था से जगाने के लिए ऐनीबेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आन्दोलन प्रारम्भ किया।

होम रूल आन्दोलन भारत के लिए स्वशासन की याचना नहीं वरन् अधिकारपूर्ण माँग की अभिव्यक्ति थी। श्रीमती ऐनीबेसेंट के अनुसार—'होमरूल भारत का अधिकार है और राजभक्ति के पुरस्कार रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मूर्खता पूर्ण है। भारत इसको युद्ध से पूर्व माँगता था, इसे युद्ध के बीच माँग रहा है और युद्ध के बाद माँगेगा, परन्तु वह इस न्याय को एक पुरस्कार के रूप में नहीं वरन् अधिकार के रूप में माँगता है, इस बारे में किसी को कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा 'ब्रिटिश साम्राज्य का भाग्य भारत के भाग्य से जुड़ा हुआ है और इसलिए बुद्धिमत्ता और विवेक का तकाजा है कि भारत को होमरूल देकर सन्तुष्ट रखा जाये।'¹⁴

9 वरुण दंगली प्रसाद, बाँदा गजेटियर गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश लखनऊ, 1981, पृ.सं.62

10 पोल ग्रहम, इण्डिया इन ट्राजिसन, पृ.सं.22

11 द्विवेदी, चन्द्रधर, कामद क्रान्ति, पृ.सं.54

12 भगवान विष्णु तथा मोहल्ला, पी.ए., 'भारत का संवैधानिक विकास', भाग-1, प्रकाशक आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 1972, पृ.सं.204

13 चन्द्रा विपिन, 'मार्डन इण्डिया', प्रकाशन एन.सी.ई.आर.टी.दिल्ली, 1990, पृ.सं.215-216

14 बेसेन्ट एनी, 'बिल्डर ऑफ न्यू इण्डिया', पृ.सं.75, 84

लोकमान्य तिलक ने ऐनीबेसेंट को पूरा सहयोग दिया। “स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।” तिलक का यह नारा देश भर में हर व्यक्ति की जुबान पर ही नहीं बल्कि बाँदा में भी लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री और कुँवर हर प्रसाद सिंह जैसे अनेक व्यक्तियों को स्वतन्त्रता आन्दोलन में सर्वस्व न्योछावर करने का प्रेरणा सूत्र बना। होमरूल आन्दोलन से देश में एक नई चेतना का संचार हुआ। होमरूल आन्दोलन में बाँदा के किसी व्यक्ति के सक्रिय रूप से भाग लेने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बाँदा के प्रबुद्ध जन चैतन्य जरूर हो गये। उनकी समझ में भी यह आने लगा कि होमरूल पुरस्कार नहीं वरन् अधिकार है, सारा देश नये विचारों से आन्दोलित हो उठा और ऐसे नव-जीवन से भर उठा जैसे कि इसके पहले कभी नहीं हुआ था।¹⁵ इस प्रकार होमरूल आन्दोलन ने अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया। सरकार आन्दोलन की गति से घबरा उठी और उसको कुचल डालने का निश्चय किया। तिलक के दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। सरकार ने ऐनी बेसेन्ट को 16 जून, 1917 को उनके दो साथियों के साथ नजर बन्द कर दिया लेकिन होमरूल आन्दोलन के कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अब भारतीय समस्या पर निर्णय और अधिक उठा रखने की स्थिति में नहीं थे।¹⁶ भारत मंत्री माण्टेग्यू ने उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि साम्राज्य की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी सहमत है यह है कि शासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों को अधिकाधिक साथ लिया जाय। स्वशासन के कार्य में लगी संस्थाओं को उत्साहित किया जाय। जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके। मैं इतना और कहना चाहूँगा कि केवल क्रमिक विकास द्वारा ही इस दिशा में उन्नति हो सकेगी। प्रगति के प्रत्येक चरण में उचित अवसर तथा परिणाम का निर्णय ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय सरकार ही कर सकती है, जिस पर भारतीय जनता की समृद्धि तथा उन्नति का उत्तरदायित्व है और वह भी यह निर्णय जिन लोगों को इस प्रकार की सेवा का नवीन अवसर प्राप्त हुआ है, उनके सहयोग तथा उनको किस सीमा तक उत्तरदायी समझा जा सकता है, इन दो बातों को ध्यान में रख कर करेगी।¹⁷ कांग्रेस को यह घोषणा भाषा और सारतत्त्व दोनों ही दृष्टि से असंतोषजनक लगी। सबने इस घोषणा को भारतीयों की आँख में धूल झोकने वाली चाल कहा। भारत की प्रगति केवल ब्रिटिश संसद और भारत सरकार द्वारा ही आंकी जा सकती थी। 1917 की घोषणा एक अस्पष्ट, अनिश्चित और टाल-मटोल करने का उपाय था, लेकिन इसी योजना के आधार पर 1919 का भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ। 5 दिसम्बर 1919 का हाउस ऑफ कॉमन्स ने तथा 19 दिसम्बर को लार्डस ने भारत प्रशासन विधेयक पारित किया। 23 दिसम्बर को सम्राट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय ‘भारत रक्षा विधेयक’ को पारित कराते समय सरकार ने वायदा किया था कि युद्ध के बाद इसको रद्द कर दिया जायेगा परन्तु भारत सरकार अपनी दमन शक्ति को बनाये रखना आवश्यक समझती थी। 10 दिसम्बर 1916 को भारत सरकार ने न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सर बेसिल स्कॉट, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुमार स्वामी, कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील सर पी.सी. मित्र इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्य वरने लावेट इसी के सदस्य थे। इस कमेटी ने संस्तुति की कि भारत रक्षा अधिनियम के स्थान पर उससे मिलता जुलता एक स्थाई कानून बनाया जाये तथा

15 पुनिया के.वी., ‘दि कन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया’, पृ.सं.142

16 ताराचन्द्र, ‘भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास’, भाग-तृतीय, निदेशक प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय दिल्ली, 1982, पृ.सं.436

17 रमण, राव एम.वी., ‘ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस’, प्रकाशक, एस.चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्ली 1959, पृ.सं.72

राज विद्रोह की सम्भावनाओं को कम करने के लिए साधारण दण्ड विधान को संशोधित करके उसे कठोर बनाया जाए।¹⁸

इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने दो विधेयकों का मसौदा बनाया। इसके विरुद्ध सारे देश ने आवाज उठाई। यहाँ तक कि उदारवादी नेताओं ने भी इन विधेयकों का विरोध किया, लेकिन सरकार ने इस विरोध की ओर ध्यान नहीं दिया। परिषद में गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों निर्वाचित सदस्यों और मनोनीत सदस्यों सबने विधेयकों का समान रूप से विरोध किया, परन्तु सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और तनिक भी नहीं झुकी।¹⁹ सरकार द्वारा फरवरी-मार्च 1919 में अराजकतावादी व क्रांतिकारी अधिनियम के नाम से कानून बना दिया गया। रौलेट ऐक्ट के नाम से यह कानून मशहूर हुआ। रौलेट ऐक्ट का शुरू से ही भारत में विरोध होने लगा। इस विरोध का नेतृत्व गाँधीजी ने किया। उन्होंने रौलेट कानून की भर्त्सना करते हुए कहा-‘रौलेट बिल इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश नौकरशाही तथा ब्रिटिश व्यापारियों के हितों को भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के ऊपर मानती है। इसलिए रौलेट ऐक्ट हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खुली चुनौती है।’ गाँधी जी ने इस बिल का विरोध उसके कानून बनाने के पूर्व ही कर दिया था तथा उसका विरोध करने के लिए जनता से एक शपथ ग्रहण करने का अनुरोध किया जिसका प्रारूप इस प्रकार था-‘चूँकि हमलोग इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि रौलेट बिल जिसे क्रिमिनल-लॉ-एमेन्डमेन्ट नं० 1, 1919 और क्रिमिनल ला इमरजेन्सी पावर बिल नं० 2, 1919 कहते हैं, अन्यायपूर्ण है तथा स्वतंत्रता और न्याय को समाप्त करने के लिए बनाये जा रहे हैं एवं उनके द्वारा भारतीयों के बुनियादी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिससे भारत और राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हमलोग यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर यह बिल कानून बन जाये, तो हम सब उसका विरोध करेंगे और हमलोग यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस संघर्ष में ईमानदारी के साथ सत्य का पालन करेंगे और किसी भी व्यक्ति के शरीर, सम्पत्ति अथवा जीवन को हिंसा के द्वारा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।’²⁰

कानून बन जाने के बाद 6 अप्रैल 1919 को रौलेट ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का श्रीगणेश हुआ। पंजाब में आन्दोलन ज्यादा मुखर था। सरकार ने डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को नजरबन्द कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियावाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। बैसाखी का दिन था। सभा की कार्यवाही शुरू होते ही ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सेना की टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँचा और गोली चलाने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार हजारों लोग वही मारे गये। सारा देश आक्रोश से भर उठा। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ‘सर’ की उपाधि लौटा दी, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। रौलेट ऐक्ट के विरोध में सत्याग्रह फिर अमृतसर में जलियावाला बाग की घटना से बाँदा के कुछ स्थानीय लोगों ने जो आन्दोलन चलाया वह फिर अनवरत चलता ही रहा।²¹ देश-व्यापी आक्रोश को देखते हुए सरकार ने लार्ड हण्टर की अध्यक्षता में जलियावाला बाग की घटनाओं की जाँच करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डायर के कारनामे पर लीपापोती कर उसे निर्दोष बतलाया। इस प्रकार रौलेट ऐक्ट, जलियावाला बाग काण्ड हन्टर कमेटी रिपोर्ट और खिलाफत समस्या के कारण 1915 में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी गाँधी 1920 में असहयोगी गाँधी बन गये। सितम्बर 1920 में कलकत्ता

18 पाठक, सुशील माधव, ‘भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास’, 1857-1947, प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी, 1993, पृ.सं.144

19 चिन्तामणि, सी.वाई., ‘इण्डियन पॉलिटिक्स सिन्स म्यूटिनी’ (इलाहाबाद, 1941) पृ.सं.11

20 सीता, रमैया, पट्टभि, ‘दि हिस्ट्री ऑफ दि कांग्रेस (1935-1942)’ भाग-2, प्रकाशन सत्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली, 1948, पृ.सं.273-74.

21 वरुण, दंगली प्रसाद, बाँदा गजेटियर गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश लखनऊ, 1981, पृ.सं.62

अधिवेशन में महात्मा गाँधी द्वारा असहयोग आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कुछ नेता इस प्रस्ताव के विरोध में थे, परन्तु मतदान में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।²² इस प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही भारतीय राजनीति में 'गाँधी युग' प्रारम्भ हो गया। असहयोग आन्दोलन में दो प्रकार के उद्देश्य थे। नकारात्मक और रचनात्मक। नकारात्मक उद्देश्यों के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ थी—

1. वकीलों द्वारा कचेहरी और अदालतों का बहिष्कार।
2. सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार।
3. धारा, सभा और प्रान्तीय परिषद के लिए चुनावों का बहिष्कार।
4. सम्मान, पदवियों का परित्याग सरकारी समारोहों का बहिष्कार।
5. विदेशी माल का बहिष्कार।
6. मद्य निषेध।

कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन के बाद महात्मा गाँधी ने पूरे देश का भ्रमण कर अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया। आन्दोलन का सूत्रपात उन्होंने अपने 'केसर-ए-हिन्द' के पदक को वापस देकर किया।²³ गाँधी जी और उनके बहुसंख्यक आस्थावान कार्यकर्ता देश भर में फैल गये तथा असंख्य नगरों और गाँवों में असहयोग का संदेश गुन्जित किया। महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ होने के समय पर बाँदा जनपद पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, कुँवर हर प्रसार सिंह तथा सेठ विष्णुकरण मेहता के नेतृत्व में आन्दोलन के लिए तैयार था। बाँदा जनपद में 'असहयोग आन्दोलन' के अध्ययन से यह बात अधिकारिक रूप से कही जा सकती है कि इस जनपद में इस आन्दोलन के प्रारम्भिक चरणों में अध्यापकों और छात्रों की प्रमुख भूमिका रही है, बाँदा में समाज के अन्य वर्ग इसमें शामिल होते चले गये और असहयोग आन्दोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट गये। वर्ष 1890 में जनपद कानपुर के नरवल कस्बे में जन्मे पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री ने वर्ष 1914 में बाँदा के राजकीय विद्यालय में सरकारी सेवा अध्यापक के रूप में शुरू की। इस प्रतिभाशाली, प्रबुद्ध युवा अध्यापक को समय की हलचल ने आन्दोलित कर दिया। देश के राजनैतिक रंग-मंच पर महात्मा गाँधी प्रगट ही नहीं हुए बल्कि सूत्रधार की भूमिका भी ग्रहण कर चुके थे। नेहरू जी के अनुसार—“भारतीय राजनीति में गाँधी जी का आगमन ताजी हवा के झोके समाज था और हम लोगों ने खुलकर उस ताजी हवा से अपने फेफड़ों को भर लिया। गाँधी प्रकाश की किरण की तरह आए जिससे अंधकार हटने लगा और हमारी आँखों के सामने प्रकाश फैलने लगा।.....उन्होंने हमें सिखाया कि इन किसानों और मजदूरों का शोषण बन्द करें तथा उस व्यवस्था का नाश करें, जिससे इस देश में गरीबी और भुखमरी फैलती है।²⁴ पं० लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री भी गाँधी जी के विचारों से प्रभावित हुये बिना न रह सके। गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर वर्ष 1920 राजकीय विद्यालय बाँदा से अध्यापक की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। फिर वह बाँदा में ही रहते हुए खुलकर विदेशी सत्ता के विरुद्ध तन-मन से सक्रिय हो गये। धन उनके पास कभी रहा ही नहीं। अग्निहोत्री जी के साथ सेठ विष्णु करण मेहता भी असहयोग आन्दोलन में सक्रिय हो गये। अगस्त 1920 में शुरू हुआ आन्दोलन जल्द ही पूरे जिले में फैल गया। श्री सुखवासी लाल जी जो उस समय एस.डी.आई. (डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल) पद पर कार्यरत थे। वे भी नौकरी से त्यागपत्र देते हुए इस आन्दोलन में कूद पड़े। बाँदा में तो सरकार विरोधी जुलूस प्रतिदिन निकल रहे थे, परन्तु कर्वी में

22 रमण, राव एम.वी., 'ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस' प्रकाशक, एस.चॉंद एण्ड कम्पनी, दिल्ली 1959, पृ.सं.94-95

23 लाल, मुकुट बिहारी, 'भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन', भाग-प्रथम, प्रकाशक उत्तर प्रदेश संस्थान हिन्दी भवन लखनऊ, 1979, पृ.सं.507

24 नेहरू, जवाहर लाल, 'दि डिस्कवरी ऑफ इण्डिया', प्रकाशक-ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1981, पृ.358

6 अप्रैल 1921 को पहला जुलूस निकला। 13 अप्रैल को कर्वी में पूर्ण हड़ताल रही। शाम को धर्मशाला में एक सभा हुई। उसी सभा में श्री जगन्नाथ प्रसाद करवरिया तरौंहा (कर्वी) तथा दुर्गा प्रसाद मिश्र ब्यूर (कर्वी) ने अध्यापकीय से त्याग पत्र देने और देश सेवा के लिए अपने को समर्पित करने की घोषणा की।²⁵

बाँदा जनपद के बहुत से पढ़े-लिखे नवयुवक जिले से बाहर दूर-दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे। वे भी देश सेवा में पीछे नहीं रहे। श्री जुगुल किशोर सिंह इलाहाबाद नगर पालिका की अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर बाँदा आ गये और देश सेवा में जुट गये। श्री सिंह वहाँ पर इन्जीनियर के पद पर कार्यरत थे। असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण कैद की सजा मिली। 1923 के प्रारम्भ में जेल से छोड़े गये।²⁶ श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव भी बाँदा जिले के निवासी थे। ये छिंदवाड़ा (म.प्र.) में वन विभाग में सरकारी नौकर थे। असहयोग आन्दोलन के समय नौकरी से त्याग पत्र देकर बाँदा जिले में स्थित गाँव रामपुर, ऐचवारा आ गये और असहयोग आन्दोलन की गतिविधियों में लिप्त हो गये। गाँधी जी का आदेश यह भी था कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें। बाँदा जनपद में भी विद्यार्थियों में इस प्रकार से राष्ट्रीय देश-प्रेम की चेतना अग्रणी नेताओं द्वारा जागृत की गई कि वे सरकारी स्कूलों से अपना नाम कटवा लें।

असहयोग आन्दोलन के समय बाँदा के सरकारी स्कूल से बहुत से विद्यार्थियों ने अपने नाम कटवा लिए—चन्द्रभवन विभव, मिथिलाशरण, जगन्नाथ कलार, शम्भूनाथ सिन्हा, श्यामसुन्दर श्रीवास्तव, सत्यनारायण पाण्डेय, मुन्नी लाल अग्रवाल, राधेश्याम सेठ, बृजबिहारी सेठ, भगवानदास पुरवार, भूपेन्द्र निगम, मदन मोहन पुरवार, रामगोपाल गुप्त तथा मातादीन चौरसिया जैसे बहुत से विद्यार्थियों ने स्कूलों को तिलांजलि देकर गाँधी जी के मिशन को पूरा करने के लिए जी-जान से जुट गए। ये विद्यार्थी प्रतिदिन अपने-अपने मोहल्लों में लोगों को एकत्रित करके प्रातः काल प्रभात फेरी निकालकर, देश-भक्ति के नारे लगाते थे। दिन भर घूम-घूम कर लोगों को विदेशी कपड़े त्यागने को कहते थे। लोगों ने विदेश में बने कपड़े एकत्रित करके कभी रामलीला मैदान में, कभी महेश्वरी देवी के चौराहे पर, कभी कोतवाली के दरवाजे पर जलाते थे। इस प्रकार हजारों रुपये का विदेशी कपड़ा प्रतिदिन जलाया जाने लगा।²⁷ बाँदा में इसी समय जिला काँग्रेस कमेटी की विधिवत् स्थापना की गई। जिले में आन्दोलन को और गति प्रदान करने के लिये एक पॉलिटिकल कान्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय भी लीडरों ने लिया। गयागंज में पॉलिटिकल कान्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें पुरुषोत्तमदास टण्डन और पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी भाग लिए। अपने भाषण में नेहरू जी ने जनसमुदाय से विदेशी वस्त्रों को त्यागने और खद्दर के वस्त्रों को अपनाने का आग्रह किया।

विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लोगों ने अपूर्व उत्साह दिखाया। जिले में स्थान-स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली के अभूतपूर्व दृश्य देखे गए। विदेशी वस्त्रों की एक बहुत बड़ी होली रामलीला मैदान में जलाई गई। लगभग एक लाख रुपये के कीमती कपड़े उस दिन जलाये गये। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, बाबा जीवन दास व स्कूल छोड़ने वाले छात्र थे। बाँदा नगर की जनता ने अपने विदेशी कपड़ों को होली में झोक कर अपना सक्रिय योगदान दिया। अनेक घरों में फिर विदेशी कपड़ों का उपयोग हमेशा के लिये समाप्त हो गया।²⁸

25 द्विवेदी, चन्द्रधर, 'कामद क्रान्ति', पृ.सं.154-157

26 भट्टाचार्य, एस.पी., 'स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झांसी डिवीजन' भाग-1, सूचना विभाग उ. प्र., 1962, पृ.100

27 वरुण, दंगली प्रसाद, बाँदा गजेटियर गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश लखनऊ, 1961, पृ.सं.62

28 द्विवेदी, चन्द्रधर, कामद क्रान्ति, पृ.सं.58

प्रारम्भ में असहयोग आन्दोलन के प्रभाव को कम करने के लिये सरकार ने 'अमन सभाएँ' स्थापित करने की चेष्टा की, परन्तु शासन की यह चेष्टा नितान्त असफल सिद्ध हुई। अधिकारियों की समझ में नहीं आता था कि इस अद्भूत स्थिति का सामना कैसे किया जाए। आन्दोलन को आशा से अधिक बढ़ता देखकर सरकार ने क्रूर दमन का आश्रय लेना प्रारम्भ किया। सरकार ने 'राजद्रोह सभा अधिनियम' का खुल कर प्रयोग करना शुरू करके आन्दोलन के नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। सबसे जाने वालों में काँग्रेस के अग्रणी गाँधीवादी नेता पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री थे। मजिस्ट्रेट ने उनको दो वर्ष के कारावास की सजा दी। कर्वी तहसील में असहयोग आन्दोलन की भूमिका तो काँग्रेस के नागपुर अधिनियम (दिसम्बर 1920) के बाद की तय हो गई थी। श्री रामबहोरी करवरिया अपने किसी काम से प्रयाग गये थे। वही उनके एक सम्बन्धी ने उनका परिचय पं. मदन मोहन मालवीय जी से करवाया। मालवीय जी से प्रभावित होकर और उनके आग्रह पर रामबहोरी करवरिया ने काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। उनके साथ सेठ जानकी प्रसाद तथा रामविशाल मुख्तार भी नागपुर गये, वहाँ के वातावरण तथा गाँधी जी व अन्य नेताओं के भाषणों का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे देश-प्रेम की भावना से ओत-प्रोत हो गये। वहाँ से लौटने के बाद वे खुद उनका परिवार और उनके प्रभाव से गाँवों के सभी लोग भी असहयोग आन्दोलन में भाग लेने लगे और रामबहोरी करवरिया कर्वी क्षेत्र में असहयोग आन्दोलन के प्रतीक बन गये। कर्वी में राष्ट्रीय जागरण की प्रथम लहर इसी समय दिखाई पड़ी। अब जुलूसों में, सभाओं में शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करते हुए शुभ्रवस्त्रधारी पढ़े-लिखे लोगों के अलावा मटमैले कपड़े पहने हुए श्रमजीवी किसानों को भी देखा जा सकता था। आन्दोलन व्यापक होता जा रहा था। श्री रामबहोरी करवरिया के अलावा दुर्गा प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, मास्टर सुखवासी लाल, बाबा जीवनदास आदि प्रमुख कार्यकर्ता थे। चित्रकूट के गोदिन शर्मा पुत्र दीनदयाल ने भी 1921 में काँग्रेस की।²⁹ असहयोग आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के कारण रामबहोरी करवरिया प्रशासन की आँख की किरकिरी बने रहे। असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री और रामानन्द करवरिया को सबसे अधिक दो वर्ष की कैद की सजा दी गई, परन्तु जनता का मनोबल इससे टूटा नहीं बल्कि आन्दोलन में और बढ़-चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे वर्ष भर (1921) जनपद में गिरफ्तारियाँ होती रही। 1921 में कर्वी के जगन्नाथ प्रसाद करवरिया बाँदा के गोपी वैश्य तथा ग्राम दिखितवारा पो. अतर्रा के रामदेवा पिछौरिहा सहित 12 सत्याग्रहियों का एक जत्था पकड़ा गया। 23 दिसम्बर 1921 को बाँदा के मजिस्ट्रेट ने सबको 6-6 माह की सजा दे दी। सत्याग्रही अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात न कर सकें, इस कारण कैदियों को बाँदा से दूसरे जिले की जेलों में भेजा जाने लगा। फलतः जगन्नाथ करवरिया को बाँदा जेल से वाराणसी जेल स्थानान्तरित कर दिया गया।

असहयोग आन्दोलन के समय बाँदा में भगवानदास पुत्र रामदास कक्षा 8 के विद्यार्थी थे। शिक्षा छोड़कर आन्दोलन में भाग लेने लगे। धरना देने और प्रभात फेरी के जुलूस में बहुत सक्रिय रहे। एक दिन प्रभात फेरी निकालते हुए कोतवाली बाँदा के दरवाजे पर पहुँचे। कोतवाल ने प्रभात फेरी रोक कर कुछ लोगों को कोतवाली में बन्द करके चालान भेज दिया। उनमें भगवानदास भी थे। मजिस्ट्रेट हसमत अली ने छह महीने का कारावास व रु0 100/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दो हफ्ते के कारावास की सजा और भुगतनी थी। सत्याग्रही जुर्माना नहीं देते थे परन्तु आर्थिक दण्ड भगवानदास के जेल जाने के बाद घरवालों से जबरन वसूल कर लिया गया। भगवानदास को कारावास भोगने के लिए फैजाबाद जेल में भेज दिया गया जहाँ से 04.07.1922 को मुक्त किए गए। असहयोग आन्दोलन में नरैनी तहसील की भी प्रमुख भूमिका रही है। श्री राजाराम द्विवेदी पुत्र श्री वंश स्वरूप द्विवेदी में

29 भट्टाचार्य एस.पी., 'स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक', झांसी डिवीजन भाग-1, सूचना विभाग उ.प्र., 1962, पृ.96

राष्ट्रीय चेतना यौवन काल से ही थी। 1921 के आन्दोलन में भाग लिया और छः माह की सजा पाई। आप नरैनी तहसील के मुतियारी ग्राम के निवासी थे।

नरैनी क्षेत्र के ठाकुर दिलीप सिंह ग्राम महुआ, श्रीमन्नीलाल, श्री महादेव प्रसाद, नरैनी खास के श्री रघुनन्दन प्रसाद, श्री रामदयाल पसारी, श्री रामदेव, श्री रामलाल जी निवासी खुरहड़ के श्री रामानन्द करवरिया आदि प्रमुख सत्याग्रही थे, सभी को असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6-6 माह के कारावास की सजा हुई।³⁰ असहयोग आन्दोलन में बाँदा जनपद के मुसलमानों ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। बाँदा के छिपटहनी मोहल्ले के फैयाज पुत्र इब्राहिम की असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह कैद की सजा पाई। बाँदा के ही मोहल्ला मोचियाना निवासी श्री हारूल रशीद को भी असहयोग में भाग लेने के कारण 6 माह कैद की सजा हुई।³¹

बाँदा जनपद में असहयोग आन्दोलन के समय का एक महत्वपूर्ण का पक्ष आग उगलने वाली पत्रकारिता थी, जो 'सत्याग्रही' पत्र के रूप में साईक्लोस्टाइल के द्वारा छप कर ना केवल बाँदा जनपद में वरन् हमीरपुर जनपद में भी आन्दोलनकारियों का मार्गदर्शन करती रही। उस युग में पत्र लेखन, सम्पादन, मुद्रण और वितरण कार्य लोहे के चने चबाने के समान कठिन था। वर्ष 1920 से 1922 तक चलने वाले असहयोग आन्दोलन में इस पत्रिका का कार्यभार मा० रामनाथ विशारद, श्री मथुरा प्रसाद खरे तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के हाथ में था। बाँदा से सत्याग्रही का प्रकाशन जिले की राजनीति घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने जिले में क्रांतिकारी विचारधारा का भी उभार हुआ। जनता की रुचि सत्याग्रही में प्रकाशित समाचार से ज्यादा उसमें प्रकाशित उच्च-प्रखर राष्ट्रीयता वाले विचारों के कारण थी। असहयोग आन्दोलन के समय बाँदा के बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल से नाम कटवा लिए थे। इन विद्यार्थियों के शिक्षा की व्यवस्था करना प्राथमिकता थी। गाँधी जी का भी विचार था कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाय। अतः वर्ष 1920 में राष्ट्रीय विद्यालय खुला।³² वर्तमान में जहाँ पर पशु चिकित्सालय है उसके सामने श्री कालूराम मनसुखराम फर्म के गोदाम में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। विद्यालय के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, सुखवासी लाल भूत पूर्व एस.डी.आई. शम्भू दयाल श्रीवास्तव, द्वारिका प्रसाद सिन्हा ने अध्यापन का कार्य पुनः प्रारम्भ किया। ये सभी असहयोग आन्दोलन के जनपदीय नेता थे। विद्यार्थियों में देश-प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता का जोश कूट-कूट कर भरा जाता था।

बाँदा की नारियाँ भी असहयोग आन्दोलन में पीछे नहीं रही। पुरुषों से कंधा से कंधा मिला कर उन्होंने इसमें भाग लिया। स्वयंसेवकों के लिए घर-घर जाकर चन्दा माँगा और काँग्रेस कार्यालय में जमा करवाया। 1920 में सावित्री देवी का विवाह बाँदा में नारायण दास के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह के 6 माह बाद ही असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। बाँदा में उस समय एक राष्ट्रीय कन्या पाठशाला थी, इसे कुछ सरकारी ग्राण्ट भी मिलती थी। श्रीमती सावित्री देवी ने 1921 में राष्ट्रीय कन्या पाठशाला की अध्यापिकाओं को साथ लेकर जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व गंगाबाई, रुक्मणीबाई और तुलसी देवी ने किया। सरकार ने इस घटना से नाराज होकर स्कूल की ग्राण्ट बन्द कर दी।

1922 का प्रारम्भ भी लार्ड रीडिंग के कड़े रुख से प्रारम्भ हुआ। आन्दोलनकारियों के ऊपर दमन चक्र पूरे जोर-शोर से चलने लगा। 1921 के अन्त तक बाँदा जनपद के अधिकांश नेता जेलों में सजा भुगत रहे थे। कुछ जो सजा पूरी करके छूट गये थे, वे वालन्टियर तैयार

30 द्विवेदी, चन्द्रधर, 'कामद क्रान्ति', पृ.सं.167-70

31 भट्टाचार्य, सच्चिदानन्द, 'भारतीय इतिहास कोष', प्रकाश-उ.प्र.हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, हिन्दी भवन, लखनऊ, 1982, पृ.128

32 वरुण, दंगली प्रसाद, बाँदा गजेटियर गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश लखनऊ, 1981, पृ.सं.62

करने में जुटे थे कि चौरी-चौरा की घटना ने सम्पूर्ण राजनीति स्थिति को ही परिवर्तित कर दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा ग्राम में काँग्रेस की ओर से एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयत्न किया, इससे पुलिस और जनता में मुठभेड़ हो गयी। जनता ने उत्तेजित होकर पुलिस को थाने से खदेड़ दिया और उसमें आग लगा दी। इस घटना में पुलिस वाले जल कर मर गये।³³ इस घटना से गाँधी जी के अहिंसावादी मन को तीव्र आघात पहुँचा। गाँधी जी मन, वचन और कर्म से अहिंसावादी थे, लेकिन जनता उस भावना को नहीं समझ पाई थी जो उनके जीवन-दर्शन का मूल आधार था। जिस नैतिक-निष्ठा को वह अपने जीवन और राष्ट्र की स्वाधीनता से भी ज्यादा चाहते थे, उसी के उल्लंघन पर उनकी आत्मा उनको कचोटने लगी। इस स्थिति में उन्होंने असहयोग आन्दोलन स्थगित कर देने का निश्चय किया।³⁴ उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में काँग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें उनके द्वारा चौरी-चौरा घटना के आधार पर आन्दोलन स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया और रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया गया “जिसमें काँग्रेस के लिये एक करोड़ सदस्य भर्ती करना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, मादक द्रव्य निषेध और पंचायते संगठित करना आदि शामिल था।”³⁵ इस प्रकार असहयोग आन्दोलन का अन्त हो गया। महात्मा गाँधी द्वारा आकस्मिक रूप से आन्दोलन स्थगित करने का जो कार्य किया गया उसका देश के अनेक नेताओं जैसे-मोतीलाल नेहरू, लालालाजपत राय, सुभाषचन्द्र बोस, डॉ मुंजे आदि ने विरोध और आलोचना की। लोगों का विचार था कि यदि गाँधी जी द्वारा असहयोग आन्दोलन उस समय समाप्त नहीं किया जाता तो वह शासन के लिए चिन्ता का विषय बन रहा था, सम्भवतया सरकार भारतीय जनमत को सन्तुष्ट करने के लिए कोई कार्य करने को बाध्य हो जाती।³⁶ बाँदा जनपद के संदर्भ में जब असहयोग आन्दोलन में यहाँ के सेनानियों के योगदान को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अपने क्रिया कलापों से साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की। पहले जनता सरकार का विरोध करने से घबराती थी, जेलों से डरती थी। अब जनता निर्भीक हो गई। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने से नहीं डरती थी। सार्वजनिक सभाओं में सरकार की आलोचना करना अब साधारण बात थी। बच्चे-बच्चे के मुँह से स्वराज्य शब्द सुनाई देने लगा।

33 पाण्डेय, बी.एन., ‘कॉन्साइस हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस’ (1885–1947) दिल्ली, 1985, पृ.सं.136

34 शर्मा, एस.आर., ‘आधुनिक भारत का निर्माण’ बम्बई, 1974, पृ.335

35 सीता, रमैया पट्टाभि, ‘दि हिस्ट्री ऑफ दि कांग्रेस 1935–1942’ भाग-2, प्रकाशन सत्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 1948, पृ.सं.398

36 मेनन, बी.पी., ‘ट्रांसफर ऑफ पॉवर इन इण्डिया’, प्रकाशक ओरिएण्ट लॉगमेण्ट दिल्ली, 1950, पृ.सं.29